# न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर जैदी आर0ए0एस0

प्रार्थना–पत्र सं0 : 106 सन 2019

अनवान :–

1. राजेन्द्र पुत्र सुलतान जाति मेधवाल निवासी सांरगपुर तहसील आदमपुर जिला हिसार

सायल

**बनाम**

1. धर्मादेवी पत्नी देशराज जाति मेधवाल निवासी हसंगा तहसील फतेहबाद जिला फतेहबद ।
2. सुभाष पुत्र बेगराज जाति मेधवाल निवासी हंसगा तहसील फतेहबाद जिला फतेहबाद
3. गोपी वल्द मंगला जाति मेधवाल निवासी सांरगपुर तहसील आदमपुर जिला हिसार
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
5. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

**गैर सायल**

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थित :– श्री भरतसिह बैनीवाल अधिवक्ता सायल

निर्णय दिनांक :– 3/3/21

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि सायल एवं गैरसायल की सयुक्त खाते की रोही मौजा सिरंगसर के खाता संख्या 499/494 की कुल 12.6500हैक भूमि में सायल का 5/24 हिस्सा , गैरसायल न0 1 व 2 का 1/24 , गैरसायल न0 3 अकेला 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

सायल व गैरसायल मुश्तरका ही काश्त करते आ रहे है विवादित भूमि मुश्तरका रहने से सीव डोल का झगडा रहता है इसलिये सायल अपने हक हिस्सा की भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड मे अलग से दर्ज करवाना चाहता है।

विवादित भूमि मुश्तरका खाता की हाने के कारण गैरसायलान अच्छी किस्म की भूमि प्राप्त करने व काब्जा काश्त में मदाखलत करने लगे है मौके पर कब्जा काश्त की भूमि गैरसायलान सीव व डोल तोडकर सायल के कब्जा काश्त में घुसने की फिराक में है यदि गेरसायल वाद भूमि की सीव डोल तोड देते है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिये सायल गेरसायल को पाबन्द करवाने का अधिकारी है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मोजा सिरगंसर के खाता संख्या 499/494 की कुल 12.6500हैक भूमि में सायल के कब्जा काश्त की भूमि में मदाखलत बेजा ना करे रिकार्ड एवं मौका की यथाास्थिति बनाई रखी जावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायलान को जरिये रजिस्टर तलब किये जाने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर गैरसायल न0 1 ता 3 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई गैरसायल न0 4 ,5 की और से पेरोकार राज उपस्थित आये किन्तु फोरमल पक्षकार होने के कारण जबाब की आवश्यकता नही सायल की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा सिरंगसर के खाता संख्या 499/494 की कुल 12.6500हैक भूमि में सायल का 5/24 हिस्सा , गैरसायल न0 1 व 2 का 1/24 , गैरसायल न0 3 अकेला 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

सायल व गैरसायल मुश्तरका ही काश्त करते आ रहे है विवादित भूमि मुश्तरका रहने से सीव डोल का झगडा रहता है इसलिये सायल अपने हक हिस्सा की भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड मे अलग से दर्ज करवाना चाहता है।

विवादित भूमि मुश्तरका खाता की हाने के कारण गैरसायलान अच्छी किस्म की भूमि प्राप्त करने व काब्जा काश्त में मदाखलत करने लगे है मौके पर कब्जा काश्त की भूमि गैरसायलान सीव व डोल तोडकर सायल के कब्जा काश्त में घुसने की फिराक में है यदि गेरसायल वाद भूमि की सीव डोल तोड देते है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होती है इसलिये सायल गेरसायल को पाबन्द करवाने का अधिकारी है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मोजा सिरगंसर के खाता संख्या 499/494 की कुल 12.6500हैक

भूमि में सायल के कब्जा काश्त की भूमि में मदाखलत बेजा ना करे रिकार्ड एवं मौका की यथाास्थिति बनाई रखी जावे।

हमने सायल के अधिवक्ता की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सिरंगसर के खाता संख्या 499/494 की कुल 12.6500हैक भूमि में सायल का 5/24 हिस्सा , गैरसायल न0 1 व 2 का 1/24 , गैरसायल न0 3 अकेला 1/4 हिस्सा भूमि मुंश्तरका खाते में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

सायल का कथन है कि गैरसायल न0 1 ता 3 सायल के खेत की सीव डोल मिस्मार कर सायल के कब्जा काश्त की भूमि पर काबिज होना चाहते है स्वीकार योग्य नही है वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि मुश्तरका खाते में दर्ज है मुश्तरका खाते की भूमि पर मुश्तरका खातेदारों का बराबर बराबर प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त होता है जब तक की खाता विभाजन नही हो जाता।

मुश्तरका खाते में भूमि दर्ज रहने से सायल यह तय नही कर सकता की उसके हिस्से मे कोनसी भूमि है तो कब्जा काश्त में दखल का कथन स्वीकार योग्य नही है।

सायल ने मात्र गैरसायलान उसके हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त के कथन के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई है जो न्यायोचित नही है क्योकि गैरसायल न0 1 ता 3 वर्तमान में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है।

रिकार्डेड खातेदार को बिना किसी ठोस आधार के पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है ना ही सायल ने ऐसा कोई कारण व्यक्त/पेश किया जिससे गैरसायल न0 1 ता 3 को पाबन्द किया जाना आवश्यक हो मात्र कथनों के आधार पर रिकार्डेड खातेदार को पाबन्द नही किया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन अपूर्णीय क्षति के बिन्दु सायल द्वारा साबित नही करने के कारण सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 3/3/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर( हनुमानगढ)